फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

20-07-2013

आवेदक **श्री विकास टंडन,** पिता–स्व0 विजय कुमार टंडन, सा0–शांति निवास, पॉपुलर नर्सिंग होम लेन, अशोक राज पथ, थाना–पीरबहोर जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–586/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–19.07.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि–20.07.2013 निर्धारित की गई।

दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक–20.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे कपड़ा व्यवसायी हैं। उनके पिता की हत्या अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर कर दी गयी थी। साथ ही पूर्व में इनके दूकान पर बम से हमला किया गया था तथा अंगरक्षक को भी गोली मारी गयी थी। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–288/गो0, दिनांक–01.04.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पीरबहोर के अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित कर मूल में संलग्न कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, पीरबहोर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक कपड़ा व्यवसायी हैं। उनके पिता की हत्या अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर कर दी गयी थी, जिस संबंध में (i) पीरबहोर थाना कांड सं0–204/11, दिनांक–17.08.2011, धारा–307/ 302/120 (B) भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में इनके पिता की हत्या की गयी थी। (ii) पीबहोर थाना कांड सं0–292/05, दिनांक–20.10.2005 धारा–307/ 326/120 (B)/34 भा0द0वि0 27 आर्म्स एक्ट दर्ज है। (iii) पीबहोर थाना कांड सं0–308 /06, धारा–389 भा0द0वि0 दर्ज है। पूर्व में इनके दूकान पर बम से हमला किया गया था तथा अंगरक्षक को भी गोली मारी गयी थी। तदोपरान्त

आवेदक के अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री विकास टंडन, पिता–स्व0 विजय कुमार टंडन, सा0–शांति निवास, पॉपुलर नर्सिंग होम लेन, अशोक राज पथ, थाना–पीरबहोर जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री टंडन को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।